

112

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0,



Rs. 20/-

S26  
3-9-14

R-3313-III/14

1. भागवत कचेर तनय छंगा उर्फ छविलाल कचेर,
  2. त्रिवेणी कचेर <sup>पत्नी</sup> भागवत कचेर,
- दोनों निवासी ग्राम चकडौर तहसील रामपुर नैकिन वृत्त हनुमानगढ़ जिला सीधी म0प्र0,

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

रामसुन्दर सिंह गोड़ तनय श्री रामसखा सिंह गोड़, निवासी ग्राम चकडौर तहसील रामपुर नैकिन वृत्त हनुमानगढ़ जिला सीधी म0प्र0,

.....रेस्पॉण्डेन्ट,

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक-799/अपील/2013-14 पारित आदेश दिनांक-21.08.2014,

.....  
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0,  
.....

माध्यम,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तगी के योग्य है।

भागवत

त्रिवेणी

भारत प्रसाद तिवारी एड  
 जिन दिनांक 03-9-14 के  
 पुत्र किये गये।  
 क्रमांक 3050 सर्किट कोर्ट रीवा  
 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
 दिनांक को प्राप्त  
 वार्ड ऑफ कोर्ट  
 राजस्व मण्डल म.प्र. म्यालेनियर

(4) (112)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

(213)

मामला क्र०-R.3313-II/14

जिला-सीधी

भागवत कचेर व अन्य/रामसुन्दर सिंह गोड़

(1)	(2)	(3)
<p>27.08.19 दीर्घकैम्प</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>उभयपक्ष अनुपस्थित है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की अनुपस्थित के आधार पर यह प्रकट होता है, कि आवेदक की रूचि प्रकरण को चलाने में नहीं है। ऐसी दशा में यह प्रकरण अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। दा.द.</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> सदस्य</p>	